आओ मिलकर चलें
एक सुरक्षित भारत की ओर-2

(एक नई दृष्टि)

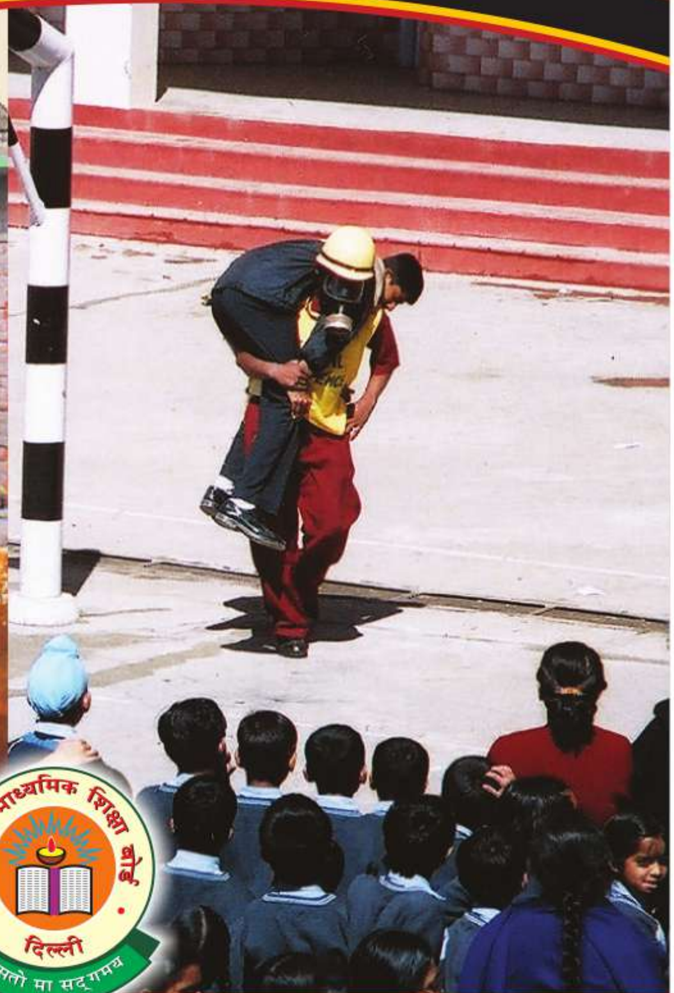

कक्षा IX

आपदा प्रबंधन
पर
पाठ्यपुस्तक

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
2, प्रीतविहार, दिल्ली - 110092

आओ मिलकर चलें

एक सुरक्षित भारत की ओर - 2

(एक नई दृष्टि)

कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिए

आपदा प्रबंधन पर पाठ्यपुस्तक

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092

आओ मिलकर चलें एक सुरक्षित भारत की ओर
सी.बी.एस.ई., दिल्ली-110301
(प्रयुक्त कागज : 80 जी एस एम सफेद मैपलिथो कागज)

पुनर्मुद्रण : 8000 प्रतियाँ - फरवरी 2013

© CBSE

मूल्य : 40/-

"इस पुस्तक अथवा इसका कोई भी भाग किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा पुनः प्रकाशित न किया जाए"

प्रकाशक : **सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड**
"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

रूप रेखा विन्यास तथा निर्देशन : मल्टी ग्राफिक्स, 8A/101, डब्ल्यू ई ए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
फोन : 25783846

मुद्रक :

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण [1]प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
[2]और राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई॰ को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 4 क

मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उंचाइयों को छू ले;

[1](ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

1. संविधान (छयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the[2] unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

THE CONSTITUTION OF INDIA

Chapter IV A

FUNDAMENTAL DUTIES

ARTICLE 51A

Fundamental Duties - It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

[1](k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his/her child or, as the case may be, ward between age of 6 and 14 years.

1. Subs. by the Constitution (Eighty - Sixth Amendment) Act, 2002

प्राक्कथन

विद्यालय हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। विद्यालय देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करने के साथ-साथ बच्चों को नैतिक मूल्य प्रदान करते हैं और प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण संस्कृतियों को आत्मसात करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत: बच्चे अभिभावकों तथा समाज के लिए संदेश-वाहक की भूमिका निभा सकते हैं। इसी संदर्भ में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2003-04 में कक्षा 8 की प्रमुख पाठ्यचर्चा के अंग के रूप में आपदा प्रबंधन विषय शुरू किया था। इसमें निहित उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों में एक मनोवृति को विकसित और प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वे प्रतिवर्ष आने वाली, जान लेवा, आजीविका और संपत्तियों की विनाशक प्राकृतिक और मानव प्रेरित आपदाओं के हानिकारक और विध्वंसक प्रभावों के निवारण ओर उनमें कमी लाने के लिए सदैव तैयार रहें।

आठवीं कक्षा में हमने सामान्य आपदाओं से अपना बचाव करने के लिए साधारण युक्तियों से परिचित करवाया है (आपदा की पूर्व तैयारी)। कक्षा 9 की इस पाठ्यपुस्तक में आपदा मंदन के (कम करने के) उन कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो हम पर पड़ने वाले आपदाओं के प्रभाव को घटाने में सहायक हैं। इसमें सर्व प्रथम प्रतिक्रिया करने वाले समाज के महत्व की भी चर्चा की गई है। इसी प्रकार आपदा प्रबंधक की भूमिका भी अहम् मानी गई है, क्योंकि इसके बिना आपदा प्रबंधन के नियोजन की कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।

भारत एक अत्यंत आपदा-प्रवण देश है। समुदायों में जागरूकता पैदा करने और उन तक महत्वपूर्ण सूचनाएँ पहुँचाने में शिक्षकों ओर विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ऐसे शिक्षक या विद्यार्थी की पहचान करना कोई कठिन काम नहीं है, जिन्होंने विगह कुछ वर्षों में भीषण आपदाओं से जूझने वाले समुदाय में आपदा-प्रबंधन का आदर्श प्रस्तुत किया हो। स्थानीय आपदाओं के प्रति सचेत करने, उनसे निबटने तथा एक टीम के रूप में, समुदाय पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने में उन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं। नि:सन्देह ये ऐसे उदाहरण हैं, जो उन महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों पर बल देते हैं, जिन्हें विद्यालय जैसी संस्थाएं सदैव निभाती हैं।

आपदा आने पर, विद्यालय ही प्राय: पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय बन जाते हैं। प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में, शिक्षकों और विद्यार्थियों को ही खोज और बचाव या प्राथमिक उपचार के लिए आगे आना पड़ता है। आपदाओं से भारी हानि सहने वाले पीड़ित को मानसिक आघात से उबारने में वे ही अत्यधिक प्रभावशाली बन सकते हैं।

अत: विद्यालयों को आपदाओं से निबटने के लिए कुछ व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

इस लक्ष्य को सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे नागरिक सुरक्षा, प्राथमिक सेवाएँ, जिला प्रशासन, संयुक्त राष्ट्र, रैड क्रास आदि के सक्रिय सहयोग से प्रेरित किया जा सकता है। हमारे द्वारा भारत के कोने-कोने में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान हमने आपदा प्रबंधन से जुड़े विविध संगठनों से प्रशिक्षण दिलवाया है। ऐसे कार्यक्रम शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षकों ने आगे चलकर पास-पड़ोस के विद्यालयों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। शिक्षकों से हमारा पुन: निवेदन है कि वे ऐसे कार्यक्रमों को अपने विद्यालयों में जारी रखें। इससे विद्यालयों में आपदाओं में सहायता के लिए तत्परता का वातावरण बनाया जा सकेगा।

अब समय आ गया है कि यह सोचना बंद कर दें कि आपदाएं दूसरों पर ही आती हैं, हम पर नहीं। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता के लिए हमें किसी अन्य भीषण चक्रवात (उड़ीसा 1999) भुज भूकंप (गुजरात 2001) या सुनामी (2004) के

आने की प्रतीक्षा नहीं करनी है। याद रखिए भारत का 60% से अधिक भाग भूकंप-प्रवाण, 12% बाढ़-प्रवण, 8% चक्रवात प्रवण ..... 70% से अधिक कृषि-योग्य भूमि सूखा प्रवण है। हमारे यहां बड़ी संख्या में संकटमय सामग्री बनाने वाले रसायन उद्योग हैं। भारत में आग से भी भारी क्षति होती है। हमारा प्रयास होगा कि हम पूरे देश में आपदा निवारण की मनोवृत्ति विकसित करने में भारत सरकार से सहयोग करें। हम यह मान कर चलते हैं कि संपूर्ण भारत में समुदायों के लिए आपदाओं की संभावनाएं कम कराने के कार्य में सहयोग देने के लिए हमारे शिक्षक प्रेरित ओर उत्साहित हैं।

बच्चे हमारा भविष्य हैं। आपदाओं से उनकी सुरक्षा होनी ही चाहिए। उन की सुरक्षा के लिए आपदा-रोधी विद्यालय और घर का निर्माण करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है। 'सुरक्षित विद्यालय' का विश्वास पैदा करने के लिए प्रधानाचार्यों को नीचे दिए गए कुछ निश्चित कार्यक्रम शुरू करने चाहिए-

- विद्यालयों की संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक सुरक्षा का मूल्यांकन
- विद्यालय की सुरक्षा की योजनाओं का निर्माण
- विद्यालयों में प्रत्येक को शामिल करके नियमित नकली अभ्यास' (मॉकड्रिल) करवाना
- प्राथमिक उपचार तथा खोज और बचाव के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों का प्रशिक्षण
- आवासी कल्याण संगठनों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, युवा संगठनों, महिला समूहों आदि के द्वारा समुदाय का सशक्तिकरण
- सुरक्षित जीवन के संदेश का प्रसार करने के लिए चित्रों, प्रहसनों, और वाद/विवाद की प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन और राष्ट्रीय आपदा दिवसों को नियमित रूप से मनाना।

पाठ्यक्रम सामग्री के निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग और मार्गदर्शन करने के लिए मैं गृह मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं भारत में यू.एन.डी.पी. के श्री जी. पद्मनाभन् और सुश्री बलाका डे का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने इस प्रयास में अथक् सहायता और योगदान किया है। डा. कमला मेनन, सुश्री अन्नपूर्णी वेंकटाचलम् और सुश्री मंजू वर्मा ने इस सामग्री को तैयार करने में विशेष योगदान दिया है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

यही नहीं मैं मुख्य रूप से, संपूर्ण भारत के सैकड़ों शिक्षकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे पूर्व संस्करणों के विषय में अपने विचार और प्रतिक्रियाएं देकर, उनमें सुधार लाने में सहायता की है। मैं उन विद्यार्थियों को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम का खुले मन से और रुचिपूर्वक स्वागत किया है तथा न केवल विद्यालय में अपितु उससे बाहर आपदा निवारण की मनोवृत्ति विकसित करने का कार्य किया है। और अंत में मैं श्रीमती सी. गुरुमूर्ति, निर्देशक (शैक्षिक)को धन्यवाद देना चहूँगा जिनके सुयोग्य मार्गदर्शन में श्रीमती सुगंध शर्मा, शिक्षा अधिकारी (वाणिज्य) ने समस्त क्रियाकलापों का समन्वय किया है तथा इस पाठ्यपुस्तक को विद्यार्थी हितैषी बनाने में अथक प्रयास किया है।

विनीत जोशी
अध्यक्ष, सी.बी.एस.ई.
दिल्ली

आभार

सी.बी.एस.ई. सलाहकार

- श्री विनीत जोशी, अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली
- डॉ. साधना पाराशर, निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली

संपादक

- श्री जी. पद्मनाभन, यू.एन.डी.पी.
- सुश्री बलाका डे, यू.एन.डी.पी.

पाठ्यपुस्तक लेखन समिति

- डा. कमला मेनन, प्रधानाचार्य, मीरांबिका स्कूल, नई दिल्ली
- सुश्री ए. वेंकटचलम, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली
- सुश्री मंजू वर्मा, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली

अनुवादक

- श्री यशपाल सिंह

समन्वयक

- सुश्री सुगंध शर्मा, अपर निदेशक, सी.बी.एस.ई.

विद्यार्थियों के लिए

कक्षा 8 में हमने ''आओ मिलकर चलें : एक सुरक्षित भारत की ओर'' आपदा प्रबंधन से परिचय पुस्तक पढ़ी। इसमें हमने सीखा कि आपदा की पूर्व तैयारी से तात्पर्य उन क्रियाकलापों से है, जो आपदा के दुष्प्रभावों से हमारा बचाव करने तथा आपदा के समय प्रभावी रूप से तथा तेजी से आवश्यक कार्यवाही करने में सहायता करते हैं। अब आप निम्नलिखित बातों को समझ सकते हैं–

- संकट और आपदा में अंतर
- विभिन्न प्रकार की समस्याएं
- आपदाओं से निबटने के लिए पहले से तैयार रहने का महत्व
- आपदा असुरक्षाओं के प्रति जागरूकता की आवश्यकता का महत्व तथा जागरूकता की भावना पैदा करने में शिक्षकों और विद्यार्थियों की भूमिका
- भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा तथा मानव जनित आपदाओं से ''क्या करें, क्या न करें'' के द्वारा अपनी रक्षा कैसे करें।

(अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक अवश्य पढ़ें... या उसके विषय में संक्षिप्त चर्चा करें।

कक्षा नौ में

अब हम सीखेंगे कि विभिन्न संकटों के दुष्प्रभावों को कैसे कम करें, ताकि उनका प्रभाव समुदायों पर कम से कम पड़े तथा संकट को आपदा बनने की संभावना से रोका जा सके। हम यह भी सीखेंगे कि समुदाय, दल के रूप में कैसे काम कर सकते हैं और सक्षम आपदा प्रबंधक बन सकते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपदा आने पर पहली कार्यवाही करने वालों में समुदाय सबसे आगे रहता है।

यही नहीं, हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि हम विद्यालयों और घरों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं कैसे बनाएं तथा जवाबी कार्यवाही के कौशल के लिए स्वयं को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि आपात्काल में हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें।

अंतत: विद्यार्थी तथा शिक्षक के रूप में, अपने परिवारों और पड़ोसियों को सजग और शिक्षित करने के लिए समाज में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा इसलिए है कि आपदा आने पर उचित उपाय करके हम अपने आप को और निकट संबंधियों को आपदा के विध्वंसक प्रभावों से बचा सकें। विद्यार्थियों को इस पाठ्‌य-पुस्तक से अधिकाधिक जानकारी एकत्र करनी चाहिए। इसमें बड़े समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक क्रियाकलाप, केस अध्ययन, और वेब संसाधन दिए गए है। आपदा प्रबंधन के विषय में ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति की वृद्धि के लिए बड़ी संख्या में फिल्में और क्रियाकलाप आनलाइन उपलब्ध हैं। अपने नियमित कार्यक्रमों में से थोड़ा समय निकालकर प्राथमिक कक्षाओं के अपने छात्र-छात्राओं को आपदा प्रबंधन की साधारण युक्तियों से अवश्य परिचित करवाइये।

विषय-वस्तु

			पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन			(i)
विद्यार्थियों के लिए			(iii)
अध्याय एक	:	आपदा प्रबंधन से परिचय –आपदा प्रबंधक बनना	1
अध्याय दो	:	विशिष्ट संकट और मंदन	15
अध्याय तीन	:	सामान्य मानव–प्रेरित आपदाओं का निवारण	44
अध्याय चार	:	आपदा प्रबंधन के लिए सामुदायिक नियोजन	56
अध्याय पांच	:	क्या आप तैयार हैं? –विद्यालयों और घरों में सुरक्षा के लिए युक्तियाँ	69

CBSE
CONTINUOUS AND COMPREHENSIVE EVALUATION
KNOW - AS YOU GROW